

प्रेम्बर,

श्रीमान सुन्दर अग्निहोत्री,
संयुक्त शिक्षा,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

शिक्षा,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
कक्षा केन्द्र-2 समुदाय केंद्र,
प्रतिष्ठान विहार, नई दिल्ली ।

शिक्षा 171 अनुभाग लखनऊ: दिनांक: अक्टूबर, 2003

विषय:- उक्त परीक्षा केंद्र की मातृ संस्था, सुन्दर, फूलपुर जिल्ला की संयुक्त शिक्षा परिषद, नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में और आपका ध्यान आकृष्ट करने के लिए यह
ज्ञान कि निर्देश दया है कि उक्त संस्था विद्यालय की संयुक्त शिक्षा परिषद, नई दिल्ली से
संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिवें जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित
प्रतिबंधों के अधीन अनापत्ति नहीं है :-

- 111 विद्यालय की पंजीकृत सौतापटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 121 विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 131 विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र० मा० शिक्षा परिषद द्वारा संयोजित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इकाई मिशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र० मा० शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे ।

- 151 संस्था निर्धारण एवं नियमित कर्मचारियों को राष्ट्रीय सेवायत प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुसूच्य वेतनमान तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे ।
 - 161 कर्मचारियों को सेवा नहीं बनायी जायेगी और उन्हें सेवायत प्राप्त आमतौर पर उच्चतर माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुसूच्य वेतनमान का मान उपलब्ध कराये जायेंगे ।
 - 171 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निकाले जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
 - 181 शिक्षण का रिक्त स्थान नियमित प्रथम/द्वितीय/तृतीय में रखा जायेगा ।
 - 191 उक्त हदों में राज्य सरकार के पुनर्गठन के बिना कोई परिसर/संस्थान परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।
- 2- प्रतिबंध यह भी होगा कि उक्त शर्तनादेश के जारी होने के एक वर्ष के भीतर शिक्षण में पीएचएड जोका वापु कर ही जायेगी एवं वर्युं सेवा कर्मचारियों को नियमित वेतनमान दिया जायेगा ।
- 3- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार के रुक या विधिभंग करके जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक उपाययुक्त प्रमाण का पालन से निवादा जायेगा ।

भारतीय,

। प्रधान मन्त्रि अतिरिक्त ।
नया दिल्ली ।

पुणे- संख्या 16581/11/15-7-रू दिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सुनवाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- केंद्रीय संयुक्त शिक्षा विभाग, अजमेर ।
- 3- शिक्षा विभाग, निरीक्षण, अजमेर ।
- 4- निरीक्षण, अंश भारतीय शिक्षण उपग्रह, लखनऊ ।
- 5- प्रमुख, राज परिवार सेवा विभाग, अजमेर रोड, पुणे, अजमेर ।
- 6- गाँव बुक ।

आज्ञा है,
। अतिरिक्त मन्त्र, पुणे ।
अनु सचिव ।